"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 811] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 28 नवम्बर 2019 — अग्रहायण 7, शक 1941

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 28 नवम्बर, 2019 (अग्रहायण 7, 1941)

क्रमांक-12616/वि. स./विधान/2019 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 20 सन् 2019) जो गुरुवार, दिनांक 28 नवम्बर, 2019 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 20 सन् 2019)

छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019

छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगी जिसे राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

धारा 19 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, धारा 19 में, -

(एक) उप-धारा (1) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(क) अध्यक्ष, जो नगरपालिक क्षेत्र के किसी भी वार्ड से पार्षद निर्वाचित हुआ हो, और तत्पश्चात्, यथास्थिति, नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत के निर्वाचित पार्षदों द्वारा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुआ हो;"

(दो) उप-धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(4) यदि किसी नगरपालिक क्षेत्र का कोई वार्ड, पार्षद का निर्वाचन करने में असफल रहता है तो ऐसे वार्ड के स्थान को भरने के लिए छ: माह के भीतर नई निर्वाचन कार्यवाहियां प्रारंभ की जायेगी और जब तक उस स्थान को भरा नहीं जाता, उसे आकस्मिक रिक्ति समझा जाएगा:

परंतु अधिनियम के अधीन अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या किन्हीं समितियों के निर्वाचन की कार्यवाहियां, ऐसे स्थान का निर्वाचन लंबित रहते, स्थगित नहीं की जायेंगी."

धारा 20 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम में, धारा 20 में, उप-धारा (2) में, खण्ड (ख) में, उप-खण्ड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(तीन) अध्यक्ष के निर्वाचन की दशा में, किसी पार्षद द्वारा;"

धारा 29-ख का संशोधन.

4. मूल अधिनियम में, धारा 29-ख में, उप-धारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(4-क) ऐसी नगरपालिका तथा नगर पंचायत में जहां, इस धारा के अनुसार, अध्यक्ष का पद, किसी विशेष प्रवर्ग के उम्मीदवार के लिये आरक्षित किया गया हो, वहां ऐसा कोई भी निर्वाचित पार्षद, जो अध्यक्ष पद हेतु आरक्षित प्रवर्ग का हो, अध्यक्ष के पद हेतु प्रत्याशी बन सकेगा, चाहे वह वार्ड, जहां से वह निर्वाचित हुआ हो, उस प्रवर्ग के लिए आरक्षित हो या नही."

5. मूल अधिनियम में, धारा 30 में, खण्ड (सी) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :- धारा 30 का संशोधन.

"(डी) किसी पंचायत या किसी नगरपालिका के नगरपालिक क्षेत्र से संबंधित किसी निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत नहीं है;

स्पष्टीकरण 1: इस धारा के प्रयोजन हेतु "पंचायत" का वही अर्थ होगा जैसा कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 2 के खण्ड (सत्रह) में उसके लिए समनुदेशित है :

स्पष्टीकरण 2: इस धारा के प्रयोजन हेतु "नगरपालिक क्षेत्र" का वही अर्थ होगा जैसा कि छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 5 के खण्ड (34-क) में उसके लिए समनुदेशित है."

6. मूल अधिनियम में, धारा 32 में,- धारा 32 का संशोधन.

(एक) उप-धारा (1) में, शब्द "अध्यक्षों तथा" जहां कही भी आया हो, का लोप किया जाये;

(दो) उप-धारा (2) में, शब्द "अध्यक्षों तथा" का लोप किया जाये.

7. मूल अधिनियम में, धारा 32-क में, उप-धारा (1) में, शब्द "अध्यक्ष" जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर, शब्द "पार्षद" प्रतिस्थापित किया जाये. धारा 32-क का संशोधन.

8. मूल अधिनियम में, धारा 32-ख में, शब्द "अध्यक्ष" के स्थान पर, शब्द "पार्षद" प्रतिस्थापित किया जाये. धारा 32-ख का संशोधन.

9. मूल अधिनियम में, धारा 32-ग में, शब्द "अध्यक्ष या" का लोप किया जाये. धारा 32-ग का संशोधन.

10. मूल अधिनियम में, धारा 33 में,- धारा 33 का संशोधन.

(एक) शब्द "या अध्यक्ष" का लोप किया जाये;

(दो) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्, -

"परंतु यह कि कोई भी व्यक्ति पार्षद के किसी भी निर्वाचन में एक से अधिक बार मतदान नहीं करेगा."

11. मूल अधिनियम में, धारा 34 में,- धारा 34 का संशोधन.

(एक) उप-धारा (1) में, खण्ड (क) का लोप किया जाये;

(दो) उप-धारा (4) का लोप किया जाये.

12. मूल अधिनियम में, धारा 35 में,- धारा 35 का संशोधन.

(एक) शब्द "अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन या" का लोप किया जाये;

(दो) खण्ड (घघ) में, शब्द "अध्यक्ष की दशा में आयु पच्चीस वर्ष से कम हो तथा" का लोप किया जाये.

धारा 43 का संशोधन. 13. मूल अधिनियम में, धारा 43 में -

(एक) शीर्षक में, शब्द "उपाध्यक्ष" के पूर्व, शब्द "अध्यक्ष तथा" अंत:स्थापित किया जाये;

(दो) उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(1) राज्य निर्वाचन आयोग, नगरपालिका परिषद् एवं नगर पंचायत के प्रत्येक निर्वाचन के तुरंत पश्चात् अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन, ऐसी रीति में, जैसा कि विहित किया जाये, करवायेगा. परिषद् के निर्वाचित सदस्य, धारा 55 में यथा विनिर्दिष्ट अपने प्रथम सम्मिलन में निर्वाचित सदस्यों में से, विहित रीति में, एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे."

(तीन) उप-धारा (3) में, शब्द "उपाध्यक्ष" के पूर्व, शब्द "अध्यक्ष तथा"अंत:स्थापित किया जाये.

धारा 43-क का संशोधन. 14. मूल अधिनियम में, धारा 43-क में,-

(एक) शीर्षक में, शब्द "उपाध्यक्ष" के पूर्व, शब्द "अध्यक्ष या"अंत:स्थापित किया जाये;

(दो) उप-धारा (1) में, शब्द "उपाध्यक्ष" जहां कहीं भी आया हो के पूर्व, शब्द "अध्यक्ष या" अंत:स्थापित किया जाये;

(तीन) उप-धारा (2) में, खण्ड (दो) में, शब्द "अध्यक्ष" के स्थान पर, शब्द "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 47 का संशोधन. 15. मूल अधिनियम में, धारा 47 का लोप किया जाये.

धारा 55 का संशोधन. 16. मूल अधिनियम में, धारा 55 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् -

"55. साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सम्मिलन-

(1) राज्य निर्वाचन आयोग, धारा 45 के अधीन निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से 15 दिन के भीतर, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए निर्वाचित पार्षदों का सम्मिलन बुलाएगा.

(2) उप-धारा (1) के अधीन सम्मिलन, ऐसी रीति में बुलाया जायेगा, जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अवधारित किया जाये, जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जायेगी. अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को मत देने का अधिकार नहीं होगा और मत बराबर होने की दशा में, परिणाम लाट द्वारा विनिश्चित किया जाएगा."

धारा 56 का संशोधन. 17. मूल अधिनियम में, धारा 56 में, अंक "47" का लोप किया जाये.

धारा 62 का संशोधन. 18. मूल अधिनियम में, धारा 62 में, उप-धारा (3) में, खण्ड (तीन) के परंतुक में, शब्द तथा अंक "या 47" का लोप किया जाये.

धारा 63 का संशोधन. 19. मूल अधिनियम में, धारा 63 में, परंतुक में, शब्द "उपाध्यक्ष या" का लोप किया जाये.

धारा 328 का संशोधन. 20. मूल अधिनियम में, धारा 328 में, उप-धारा (1) में, खण्ड (ख) में, शब्द "उपाध्यक्ष" जहां कहीं भी आये हो के पूर्व, शब्द "अध्यक्ष तथा" अंत:स्थापित किया जाये.

निरसन. 21. छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (क्र. 3 सन् 2019) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

उद्देश्य और कारणों का कथन

राज्य में व्यवस्था अनुसार, नगरपालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में अध्यक्ष का चुनाव सीधा शहरी मतदाताओं द्वारा किया जाता है. शासन को अनेक स्त्रोतों से यह शिकायत/सुझाव प्राप्त हुआ है कि यह व्यवस्था, प्रमुख दोष का सामना कर रहा है, क्योंकि अनेक बार निर्वाचित अध्यक्ष को निर्वाचित पार्षदों का विश्वास एवं बहुमत समर्थन प्राप्त नहीं होता है, जिससे नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत के सुचारू कार्य संचालन में स्वाभाविक रूप से बाधायें आती है. अत: यह प्रस्तावित है कि अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पार्षदों द्वारा उनके बीच से किये जाने हेतु व्यवस्था को परिवर्तित किया जाये, ताकि अध्यक्ष को सभी समयों पर पार्षदों का बहुमत समर्थन प्राप्त हो सके और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बल मिल सके.

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश 2019 लाया गया था. जिसका छ. ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 25-10-2019 को हुआ है. अतएव उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु छ. ग. नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश 2019 के स्थान पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) में उपयुक्त संशोधन करना प्रस्तावित है.

रायपुर,
दिनांक 23 नवम्बर, 2019

डॉ. शिवकुमार डहरिया
नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2019 को प्रख्यापित करने के संबंध व्याख्यात्मक टीप

छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2019 का प्रकाशन छत्तीसगढ़ (असाधारण) राजपत्र में दिनांक 25-10-2019 को माननीया राज्यपाल की अनुमति से प्रकाशित किया गया है. उपरोक्त अध्यादेश में संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ में 1 (3) में "यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा" प्रकाशित है. प्रस्तावित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2019 में संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ में 1 (3) में "यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगी जिसे राज्य शासन अधिसूचना द्वारा नियत करे." प्रस्तावित है.

प्रस्तावित विधेयक तथा अध्यादेश में अंशत: रूपभेद है. विधेयक पारित होने उपरान्त संशोधन विधेयक को अधिनियम के रूप में प्रवृत्त करने के लिये पृथक से अधिसूचना शासन द्वारा जारी की जायेगी.

उपाबंध

छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) में संशोधन हेतु सुसंगत धाराओं का उद्धरण

धारा - 19 नगरपालिका परिषद् तथा नगर पंचायत की संरचना - (1) नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत निम्नलिखित से मिलकर बनेगी -

(क) नगरपालिका क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष अर्थात् सभापति (चेयर पर्सन)

उपधारा (4) - यदि कोई नगरपालिका क्षेत्र अध्यक्ष का निर्वाचन करने में असफल रहे या कोई वार्ड पार्षद का निर्वाचन करने में असफल रहे, तो यथास्थिति ऐसे नगरपालिका क्षेत्र या वार्ड के स्थान को भरने के लिए छ: माह के भीतर नई निर्वाचन की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी और जब तक उस स्थान को भरा नहीं जाता उसे आकस्मिक रिक्ति समझा जायेगा :

परन्तु अधिनियम के अधीन उपाध्यक्ष या किन्ही समितियों के निर्वाचन की कार्यवाहियां ऐसे स्थान का निर्वाचन लंबित रहते स्थगित नहीं की जायेंगी.

धारा - 20 निर्वाचन अर्जी -

धारा 20 (2) खण्ड (ख) उप खण्ड (तीन) - नगरपालिका क्षेत्र के किसी मतदाता द्वारा अध्यक्ष निर्वाचन की दशा में.

धारा-29-ख परिषद् के अध्यक्ष पद का आरक्षण - (1) राज्य में यथास्थिति नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के, अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये ऐसी संख्या में अध्यक्ष के पद आरक्षित रखे जाएंगे जिसका अनुपात यथाशक्य निकटतम रूप से वही होगी जो राज्य के यथास्थिति समस्त नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों की सीमाओं के भीतर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रवर्गों की जनसंख्या का ऐसे क्षेत्रों की कुल जनसंख्या के साथ है.

(2) यथास्थिति नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम पच्चीस प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षित रखे जाएंगे.

(3) उपधारा (1) तथा (2) के अधीन आरक्षित किये गये अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिये आरक्षित रखे जाएंगे.

(4) पदों की कुल संख्या के यथाशक्य संभव एक तिहाई स्थान (जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे.

धारा - 30 मतदाताओं की अर्हता तथा उनका नाम दर्ज किया जाना - धारा 21 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो -

(ए) उस वर्ष की जिसमें किसी वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली तैयार की गई हो या पुनरीक्षित की गई हो, जनवरी के प्रथम दिन अठारह वर्ष से कम आयु का नहीं है;

(बी) किसी वार्ड में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (क्रमांक 43 सन् 1950) की धारा 20 जो इस उपान्तरण के अध्यधीन रहेगी कि उसमें "निर्वाचन क्षेत्र" के प्रति किया गया निर्देश "वार्ड में समाविष्ट क्षेत्र" के प्रति किया गया निर्देश है, के अर्थ के अन्तर्गत मामूली तौर से निवासी है; और

(सी) उस विधान सभा निर्वाचक नामावली में, जिसका उस वार्ड से सम्बंध स्थापित किया जा सकता हो, नाम दर्ज किये जाने के लिए अन्यथा अर्हित है, उस वार्ड की निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज किया जाने का हकदार होगा :

परन्तु -

(एक) कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्डो की निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज किया जाने का हकदार नहीं होगा;

(दो) कोई भी व्यक्ति किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार नाम दर्ज किया जाने का हकदार नहीं होगा.

धारा-32 निर्वाचक नामावलियों का तैयार किया जाना और निर्वाचनों व्ययों का संचालन - (1) नगरपालिका के अध्यक्षों तथा पार्षदों के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियां तैयार कराये जाने और अध्यक्षों तथा पार्षदों के सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा.

(2) राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, निर्वाचक नामावलियां तैयार करने के लिए और नगरपालिका के अध्यक्षों तथा पार्षदों के सभी निर्वाचनों के संचालन के लिए नियम बनाएगी.

धारा-32-क अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा - (1) प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अंतर्गत ये दोनों तारीखें आती है, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया गया है, पृथक और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा.

धारा-32-ख निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना - अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अंदर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा.

धारा-32-ग निर्वाचन व्ययों का लेखा दायित्व करने में असफलता के कारण निरर्हता - निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है, कि कोई व्यक्ति -

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा यथास्थिति, नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायत का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए उस आदेश की तारीख से (ऐसी कालावधि, जो पांच वर्ष से अनधिक होगा, के लिए निरर्हित हो.

धारा-33 मतदान की पात्रता - ऐसे प्रत्येक मतदाता जो किसी वार्ड में तत्समय प्रवृत्त निर्वाचन नामावली में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत है पार्षदों या अध्यक्ष के किसी निर्वाचन में मतदान करने के लिए पात्र होगा और कोई ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं है, मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु कोई भी व्यक्ति यथास्थिति पार्षदों के किसी निर्वाचन में या अध्यक्ष के निर्वाचन में एक से अधिक बार मतदान नहीं करेगा.

धारा-34 अध्यक्ष या पार्षद के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हता - (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए ऐसा कोई व्यक्ति जो नगर पालिका निर्वाचक नामावली में मतदाता के रूप में नामांकित है -

(क) यदि वह आयु में पच्चीस वर्ष से कम नहीं है अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु और

उपधारा - (4) यदि कोई व्यक्ति अध्यक्ष या पार्षद दोनों पदों के लिए निर्वाचित हो जाता है, तो उसे निर्वाचित घोषित किए जाने की तिथि से सात दिन के भीतर किसी एक पद से अपना त्याग पत्र देना होगा.

धारा-35 अभ्यर्थियों की निरर्हताएं - कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन या पार्षद के रूप में निर्वाचन या नाम निर्देशन के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह -

(क) भारत का नागरिक नहीं है; या

(ख) सरकारी सेवक है और वेतन या मानदेय (जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत फीस या कमीशन नहीं है) के रूप में पारिश्रमिक पाता है; या

(ग) परिषद् के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता है या किसी अन्य स्थायीन प्राधिकारी की सेवा में है; या

(घ) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित्त या न्याय निर्णीत किया जा चुका है; या

(घघ) अध्यक्ष की दशा में आयु पच्चीस वर्ष से कम हो तथा पार्षदों की दशा में आयु इक्कीस वर्ष से कम हो)

धारा-43 उपाध्यक्ष का निर्वाचन एवं पदावधि - (1) परिषद् के अध्यक्ष तथा निर्वाचित सदस्य धारा 55 की उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट अपने प्रथम सम्मिलन में निर्वाचित पार्षदों में से विहित रीति में एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे.

(3) उपाध्यक्ष की पदावधि परिषद् की पदावधि से सहविस्तारी होगी.

धारा-43-क उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव - (1) उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव उपधारा (2) के अधीन उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाये गये सम्मिलन में निर्वाचित किसी पार्षद द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा और यदि प्रस्ताव सम्मिलन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले निर्वाचित पार्षदों के दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत हो जाये और यदि ऐसा बहुमत उस समय परिषद् का गठन करने वाले निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के आधे से अधिक हो तो उपाध्यक्ष का पद तत्काल रिक्त हुआ समझा जायेगा. ऐसे प्रस्ताव की एक प्रति मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा कलेक्टर को तत्काल रिक्ति को भरने के लिए भेजी जाएगी :

परन्तु उपाध्यक्ष के विरूद्ध ऐसा कोई प्रस्ताव :-

(एक) उस तारीख से, जिससे की उपाध्यक्ष अपना पद ग्रहण करें, दो वर्ष की कालावधि के भीतर;

(दो) उस तारीख से, जिस तारीख के पूर्व अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया था, एक वर्ष की कालावधि के भीतर, नहीं होगा.

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए परिषद् का सम्मिलन बुलाया जायेगा तथा नगर पालिका परिषद् के मामले में कलेक्टर या किसी प्रथम वर्ग अधिकारी द्वारा और नगर पंचायत के मामले में किसी द्वितीय वर्ग अधिकारी द्वारा जैसा कि उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाये उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित रीति में की जायेगी, अर्थात् -

(दो) ऐसे सम्मिलन की सूचना, तारीख, समय तथा स्थान विनिर्दिष्ट करते हुए अध्यक्ष तथा प्रत्येक पार्षद को सम्मिलन के दस पूर्ण दिन पूर्व भेजी जायेगी;

धारा-47 अध्यक्ष का वापस बुलाया जाना - (1) किसी परिषद् के प्रत्येक अध्यक्ष द्वारा अपना पद तत्काल रिक्त कर दिया गया समझा जायेगा यदि उसे ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जो कि विहित की जाए, नगरपालिका क्षेत्र के मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या के आधे से अधिक मतदाताओं के बहुमत द्वारा गुप्त मतदान से वापस बुलाया जाए :

परन्तु वापस बुलाने की ऐसी कोई प्रक्रिया तबतक आरंभ नहीं की जाएगी जब तक कि निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के कम से कम तीन चौथाई पार्षदों द्वारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर न कर दिए जाएं और उसे कलेक्टर को प्रस्तुत न कर दिया जाए :

परन्तु यह और कि ऐसी कोई प्रक्रिया -

(एक) उस तारीख से जिसको कि ऐसा अध्यक्ष निर्वाचित होता है और अपना पद धारण करता है, दो वर्ष की कालावधि के भीतर आरंभ नहीं की जायेगी;

(दो) यदि उप चुनाव में निर्वाचित अध्यक्ष की आधी कालावधि का अवसान न हो गया हो आरंभ नहीं की जाएगी :

परंतु यह और भी कि अध्यक्ष को वापस बुलाये जाने की प्रक्रिया उसकी सम्पूर्ण अवधि में एक बार ही आरंभ की जाएगी.

(2) कलेक्टर अपना समाधान कर लेने और यह सत्यापन कर लेने के पश्चात् कि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट तीन चौथाई पार्षदों ने वापस बुलाए जाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिये है, प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजेगा और राज्य सरकार उसे राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देशित करेगी.

(3) राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश प्राप्त होने पर, वापस बुलाए जाने के प्रस्ताव पर, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, मतदान कराने के लिए व्यवस्था करेगा.

धारा-55 साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सम्मिलन - (1) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, विहित प्राधिकारी के अनुमोदन से, प्रत्येक साधारण निर्वाचन के आगामी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के एक मास के भीतर, एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करने के प्रयोजन के लिए निर्वाचित पार्षदों का एक सम्मिलन बुलाएगा.

(2) उपधारा एक के अधीन बुलाये गये परिषद के प्रथम सम्मिलन की अध्यक्षता कलेक्टर द्वारा नियुक्त किये गए ऐसे अधिकारी द्वारा, जो नगर पालिका परिषद् के मामले में डिप्टी कलेक्टर की पदश्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो तथा नगर पंचायत के मामले में तहसीलदार की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो, की जाऐगी और इस अध्याय में अंतर्विष्ट वे समस्त उपबंध जो परिषद के सम्मिलनों के बारे में है, यथाशाक्य ऐसे सम्मिलन के संबंध में लागू होंगे :

परन्तु अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को ऐसे सम्मिलन में मत देने का अधिकार नहीं होगा और मतों के बराबर होने की दशा में परिणाम का विनिश्चय लॉट द्वारा किया जायेगा.

धारा-56 सम्मिलन का संयोजन - (1) परिषद् का सम्मिलन, या तो मामूली होगा या विशेष.

(2) धारा 43, 43-क, 47, 55 या 71 में निर्दिष्ट किये गये सम्मिलन के सिवाय, प्रत्येक सम्मिलन की तारीख, अध्यक्ष द्वारा, या उसके कार्य करने में असमर्थ होने की दशा में, उपाध्यक्ष द्वारा और उसके संबंध में भी इसी प्रकार की दशा होने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा नियत की जाएगी.

धारा-62 कार्यवाहियों के कार्यवृत - उपधारा - (3) कार्यवाहियों के उन कार्यवृत्तों में, जो उपधारा (1) के अधीन अभिलिखित किए गए है, निम्नलिखित बातें सम्मिलित होंगी -

(एक) उपस्थित पार्षदों के नाम;

(दो) उस प्रत्येक प्रश्न पर सम्मिलन का विनिश्चय जिस पर विचार किया गया है; और

(तीन) जब ऐसा विनिश्चय सर्वसम्मत नहीं है, तब ऐसे प्रश्न के पक्ष और विपक्ष में मतों की संख्या और मतदान करने वाले पार्षदों के नाम तथा उन पार्षदों के नाम जो तटस्थ रहे, चाहे मत विभाजन पद्धति से लिए गए हैं या अन्य प्रकार से :

परन्तु धारा 43-क या 47 के अधीन सम्मिलन के मामले में पार्षदों के नाम अभिलिखित करने से संबंधी उपबंध प्रश्न के पक्ष में तथा उसे विरूद्ध मत (वोटिंग) देने के लिये लागू नहीं होगा.

धारा-63 बहुमत द्वारा प्रश्नों का विनिश्चय - इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ऐसे समस्त प्रश्नों का विनिश्चय जो इस अधिनियम के अधीन होने वाले सम्मिलन के समक्ष लाये जायें, अध्यक्ष तथा उपस्थित निर्वाचित पार्षदों के बहुमत से किया जाये और मतों की समानता की दशा में सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले प्राधिकारी को द्वितीय या निर्णायक मत प्राप्त होगा :

परन्तु उपाध्यक्ष या किसी समिति के सभापति के निर्वाचित में मतों की समानता की दशा में अध्यक्षता करने वाला प्राधिकारी अपने निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेगा और परिणाम का विनिश्चय लाट द्वारा किया जायेगा.

धारा-328 परिषद् को विघटित करने की शक्ति - (1) राज्य सरकार, आदेश द्वारा नगरपालिका को उसके लिए कारण कथित करते हुए, विघटित कर सकेगी, यदि -

(ख) धारा 43 की उपधारा (1) के अधीन पार्षदों के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजपत्र में पार्षदों के निर्वाचन के प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर या उपाध्यक्ष की पदावधि की समाप्ति के एक मास के भीतर, नगरपालिका के उपाध्यक्ष का निर्वाचन न करें; या

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019.